Received: Jul '23
Revised:
Accepted: Aug '23

© 2023 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RELEVANCE OF RESERVATIONS
आरक्षण की प्रासंगिकता

Dr. Susheela Devi Yadav
Assistant Professor, Department of Political Science, Dr. B.R. Ambedkar Govt. College, Sriganganagar.
E-mail: sushilayadav339@gmail.com

ABSTRACT

Reservation is a difficult subject in the context of India, which includes many types of reservations, such as political reservation, social reservation, economic reservation, judicial reservation, reservation in defence services, occupational reservation, reservation in government and private jobs, etc. Reservation in India has been a boon for centuries, with caste and varna reservations given more importance. Social respect has been the subject of reservation. In this research paper, the meaning of reservation, historical background, the provision of reservation made in the Indian Constitution, and arguments in favour and against reservation have been presented.

भारत के संदर्भ में आरक्षण एक कठिन विषय है जिसमें कई प्रकार के आरक्षण शामिल हैं, जैसे राजनीतिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, न्यायिक आरक्षण, रक्षा सेवाओं में आरक्षण, व्यावसायिक आरक्षण और सरकारी और निजी नौकरियों में आरक्षण आदि। भारत में आरक्षण यह सदियों से एक वरदान रहा है, जिसमें जाति और वर्ण आरक्षण को ही अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक सम्मान आरक्षण का विषय रहा है। इस शोध पत्र में आरक्षण का अर्थ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द– आरक्षण, हाशिये, संवैधानिक प्रावधान, अल्पसंख्यक।

शोध का उद्देश्य

- सामाजिक न्याय एवं आरक्षण व्यवस्था की अवधारणा को जानना एवं स्पष्ट करना।
- भारतीय संविधान में आरक्षण की उत्पत्ति, उद्भव एवं आवश्यकता एवं क्रियान्विति का विश्लेषण करना।
- संवैधानिक प्रावधानों व न्यायिक समीक्षा के दौरान विधायिका व कार्यपालिका के मध्य टकराव के बीच आरक्षण की वर्तमान व्यावहारिक प्रासंगिकता का पता लगाना तथा संविधान निर्माताओं की आकांक्षा के अनुरूप आरक्षण की स्थिति को जानना।

शोध का महत्व

शोध का विषय भारत में आरक्षण से संबंधित अनछुए पहलुओं को उजागर करना तथा वर्तमान समय में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करना। वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था तथा उसमें रही खामियों के साथ–साथ समकालीन आर्थिक आधार पर लागू किए जा रहे आरक्षण की बहस भी जारी है, इस पर भी सकारात्मक अध्ययन का प्रयास किया गया है। शोधपत्र तुलनात्मक, सामयिक प्रासंगिकता पर आधारित है जिसमें तर्कों के आधार पर विश्लेषण किया है।

शोध प्रविधि

शोध अध्ययन का विषय द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित एवं वर्णनात्मक है। अतः इसमें अध्ययन उपलब्ध साहित्य, पत्र, गोपनीय दस्तावेजों, डायरियों एवं संग्रहालयों में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में उद्देश्यों एवं प्राकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर तथ्यों, सूचनाओं एवं प्राप्त प्रमाणों से ही सत्यापन या निरस्तीकरण करने का प्रयास किया गया है।

परिचय

जाति भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, आज की यह प्रचलित है। यह प्राचीन समय की भांति अब कठोर स्वरूप में नहीं है परंतु सामाजिक स्तरीकरण में आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यही वजह है कि भारतीय संदर्भ में नीति निर्माण में लोक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत तक जाति एक आधार के रूप में उपस्थित रही हैं। इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा है कि भारतीय जाति व्यवस्था गतिशीलता का विरोध करती है और कार्ल मार्क्स के अनुसार समय के साथ–साथ भारत में जाति व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। जब देश आजाद हुआ तो जिस सविधान के माध्यम से शासन चलाना तय हुआ उसमें समानता के मूल्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में स्वीकार किया गया। इसी उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर में वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु आरक्षण को प्रभावी समाधान के रूप में स्वीकार किया। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय विशेष रूप से संवैधानिक रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर से प्रभावित है। भारतीय सामाजिक न्याय व समाजवादी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूल अधिकारों के साथ–साथ सभी

व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि के कारण आवश्यकतानुसार कुछ विशेष सुविधाएँ अथवा तर्कसंगत भेदभाव किया जाना यथोचित है ताकि न्यायपूर्ण सामाजिक समानता की स्थापना हो सके।

आरक्षण का अर्थ

आरक्षण का अर्थ है– अपनी जगह सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है। चाहे वह ट्रेन में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त करने की। शोषित और हाशिए पर खड़े पिछड़े, उपेक्षित, अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिये उन्हें कुछ विशेष अधिकारों तथा सुविधाओं का प्रावधान करना। जिसे संवैधानिक शब्दावली में 'सामाजिक न्याय' का नाम दिया गया। इस सामाजिक न्याय को ही आम भाषा में हम 'आरक्षण की नीति' कहते हैं।

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता से पूर्व भी विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रदान किये गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम आरक्षण की मांग दक्षिण भारत में शुरू हुई। 1895 में सर्वप्रथम मैसूर राज्य ने 'मिलर कमीशन' का गठन किया तथा उसकी अनुशंसा पर सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कुछ पद पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित किये गए। 1901 में महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। 1920 के दशक में सर्वप्रथम राजनीतिक आरक्षण की मांग डॉ. अम्बेडकर ने प्रारंभ की। उन्होंने बॉम्बे काउंसिल में 22/140 सीटें दलितों के लिये आरक्षित करने की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस ने पूना समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिये अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये। 1921 में मद्रास प्रेसिडेन्सी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। 1928 में बॉम्बे सरकार ने एक कमीशन गठित किया, जिसने पिछड़ी जातियों को तीन श्रेणियों में बाँटा आदिम, दलित तथा पिछड़ी जातियाँ। 1929 में इतिहास प्रसिद्ध 'साइमन कमीशन' ने आदिमजाति को अनुसूचित जनजाति (एसटी) दलितों तथा हरिजनों को अनुसूचित जाति (एससी) नाम से संबोधित किया। इसी नाम को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान सभा ने भी स्वीकार किया। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में आरक्षण इतिहास बहुत पुराना है। सर्वप्रथम मनुस्मृति में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शुद्रों को स्थान आरक्षित किये गए तभी से लेकर आज भी सही मायने में ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग और भारतीय संविधान में कपितय अनुच्छेद 14, 15, 16, 330 से 342 आदि अनेक अनुच्छेदों को जोड़कर अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयास

- अनुच्छेद–330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति (अजा) तथा अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद–332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 (4) में किया गया है जबकि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16 (4) क और 16(4)ख में किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों एवं अधिकारों को संरक्षण एवं उन्नत करने के लिए संविधान में कुछ उच्च प्रावधान भी समाविष्ट किए गए है। जिससे कि वह राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ने में समर्थ हो सके। चूंकि अभिज्ञेय समूहों को कम प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐतिहासिक रूप से दलित रहे अनुसूचित जाति वर्गों के लिए 15 प्रतिशत तथा मुख्यधारा से दूर रही जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण जबकि राजस्थान में भी अनुसूचित जातियो के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। कालान्तर में यह व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी राज्य सहित पूरे देश में लागू की गई। आरक्षण का अभिप्राय अपनी योग्यता अनुसार अपना स्थान आरक्षित करना है। यहाँ बात करें ओबीसी में आरक्षण वर्गीकरण की तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कुछ अन्य जातियों से सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में बेहत्तर स्थिति में है। दरअसल, मण्डल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन ओबीसी में ही अत्यधिक कमजोर वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं किया गया। यहीं कारण है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी OBC वर्ग से ताल्लुक रखने वाली कुछ ताकतवर जातियों के हाथों में ही सिमटकर रह गया है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में ओबीसी वर्ग के अन्दर ही वर्गीकरण की माँग लगातार की जाती रही है और अब तक नौ राज्यों– आन्द्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी,

कर्नाटक, हरियाणा, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी (ओबीसी) वर्गाकरण को लागू कर दिया है। इसी संदर्भ में कार्य करते हुए जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया गया है जो ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण पर कार्य कर रहे हैं। परन्तु केन्द्रीय सूची में इस तरह वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है यह भी बड़ा प्रश्न है। इस प्रकार का बँटवारा आरक्षण की व्यवस्था रोड़ा बन रहा है।

आरक्षण एक उपाय है, जिसके माध्यम से कुछ पदों को रोजगार में सुरक्षित किया जाता है तथा संसद, राज्य विधान मण्डल एवं स्थानीय निकायों में कमजोर एवं समाज में अति निचले पायदान पर पड़े अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, विकलांगों, अन्य पिछड़े वर्गों अथवा ईडब्लूएस के लिए सीटें आरक्षित की जाती है।

ईडब्लूएस आरक्षण

ईडब्लूएस आरक्षण कोटा के अंदर वह व्यक्ति आता है जो जनरल केटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो। इस कोटा के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग नहीं आते। ईडब्लूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुनवाई के दौरान 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लिया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण मिलता है। सुनवाई के दौरान पांच में से तीन जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं। एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है। उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है। वहीं इस फैसले पर पांच जजों की पीठ में से एक जज रविन्द्र भट ने असहमति जताई है। रविन्द्र भट ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है। उनमें बहुत से लोग गरीब हैं। इसलिए 103 वां संशोधन गलत है। जस्टिस एस रवींद्र भाट ने 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने को भी अनुचित माना है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(6) और 16 (6) रद्द होने चाहिए। जबकि, चीफ जस्टिस ललित ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस रवींद्र भट के फैसले से सहमत हूँ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3–2 के बहुमत से ईडब्लूएस आरक्षण को बरकरार रखा है। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट सहमति दी, तमाम अटकलों और आशंकाओं पर विराम लग गया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, जिसे गहराई से समझने की जरूरत है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आरक्षण पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि तब क्या सोचा गया था, जो आज 75 साल के बाद भी हासिल नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए कहा है कि इस प्रणाली पर विचार करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि कोटा सिस्टम हमेशा के लिए नहीं रह सकता, एक समय सीमा तय करने की जरूरत है।

आरक्षण के पक्ष में तर्क

पिछले 75 वर्षों में आरक्षण का जितना लाभ वंचितों को मिलना चाहिये उस अनुपात में अत्यंत कम है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आरक्षण की नीति बिल्कुल असफल ही साबित हुई है। इससे न केवल दलितों आदिवासियों और पिछड़ों को बल्कि पूरे राष्ट्र को लाभ प्राप्त हुआ है। आरक्षण ने भारतीय मध्य वर्ग की प्रकृति और संरचना बदल डाली है। आरक्षण के कारण अब निचली जातियों के काफी सदस्यों ने मध्य वर्ग में प्रवेश पा लिया है। भारतीय मध्य वर्ग में आरक्षण से लाभान्वित दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग शामिल हैं। जातिप्रथा और उससे संबंधित अस्पृश्यता–भेदभाव जैसी अवधारणा, जिसकी जड़ें भारतीय समाज में गहरी थीं. आरक्षण ने उन जड़ों को भी बहुत हद तक झकझोरा है। आरक्षण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर भी गहरा असर डाला है। शैक्षिक और व्यवसायगत अवसरों की उपलब्धि ने उत्पीड़ित समुदायों में एक नए राजनीतिक नेतृत्व को जन्म दिया है।

आरक्षण के विपक्ष में तर्क

आरक्षण का लाभ सभी वंचित समुदाय समान रूप से नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी प्रायः जनजातियाँ, जैसे– संथाल, भील, कोल, भूटिया आदि उसी अवस्था में जीवनयापन करने को मजबूर हैं जैसे वि इनके पूर्वजों ने अपना जीवन गुजार दिया। कई बार विभिन्न पदों पर कॉलेजों में इनकी आरक्षित सीटें खाली तक रह जाती हैं। आज भी इनमें जागरूकता की अत्यंत कमी है। ऐसे में इनके आरक्षणों का लाभ उन समुदायों की कोटि में घुसे हुए अगड़े वर्ग उठा लेते हैं। राजनीति से प्रेरित होकर कुछ सामाजिक–आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी में डाल दिया जाता है क्योंकि ये वर्ग संख्याबल में संपन्न होते हैं और ये बड़े वोट बैंक का काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन वर्गों पर पड़ता है जो वास्तविक रूप से आरक्षण के हकदार हैं। इसके अलावा वैसे गरीब सवर्ण जो योग्य हैं उन पर भी इसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि सच में हम हाशिए पर ढेल दिये गए समूहों के जीवन में आरक्षण के जरिए महत्त्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते है तो हमारे पास केवल दो विकल्प है या तो सरकार को सरकारी नौकरियों और

विश्वविद्यालयों में सीटों की उपलब्धता में व्यापक रूप में वृद्धि करनी चाहिए या फिर इन लाभों को प्राप्त करने योग्य आबादी का आकार कम करना चाहिए।

सुझाव

सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, फिर उसी अनुपात में, सामाजिक आधार, आर्थिक आधार पर नौकरियों और राजनीतिक भागीदारी में आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण प्राप्त करने का वास्तविक आधार आर्थिक सीमा के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। पिछड़े वर्गों में आरक्षण की अपेक्षा शैक्षिक तथा अन्य चतुर्दिक प्रयासों की ज्यादा आवश्यकता है। आरक्षण अथवा प्रदत्त सुविधाओं का समय–समय पर मूल्यांकन तथा समीक्षा आवश्यक है। उपरोक्त सुझावों का उद्देश्य आरक्षण नीति को अधिक सार्थक तथा वैज्ञानिक बनाने में सहयोग देना है। इन सुझावों के प्रयोग से आरक्षण की योजना स्वतः समापनीय योजना के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि प्रत्येक जनगणना के उपरांत पिछड़े वर्गों द्वारा की गई प्रगति व विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें जो जातियां सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर चुकी होगी और अपनी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल चुका होगा, ऐसी जातियों को उत्तरोत्तर आरक्षण के लाभ से बाहर किया जा सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अधिक पिछड़े समूहों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा, और यही तो आरक्षण का उद्देश्य भी है जिस पर बहुसंख्यक जनता सर्वसम्मत है। अतः तात्कालिक आवश्यकता इस बात की है कि आरक्षण की नीति हर प्रकार से न्यायपूर्ण लगे और व्यावहारिक रूप में भी इसकी न्यायिकता सिद्ध हो। क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में अनावश्यक सामाजिक एवं राजनीतिक टकराव होंगे, जो पहले से ही विखंडित भारतीय समाज को और भी अधिक विखंडित कर देंगे। अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि सामाजिक समरता हेतु इन कपितय उपबंधों जो पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु संविधान में बनाए गए है, इस ओर बौद्धिक स्तर से सभी विद्वानों, आलोचकों, सुधारकों को इन दमित, निचले पायदान पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जीवन–यापन कर रहे लोगों को मुख्यधारा में लाने, भारत में सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु इन्हें स्वच्छ छवि एवं कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। तभी हम सही मायने में समान सामाजिक समरता का विकास कर सकते है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. पूरोहित, शिवांगी.(2018).आरक्षणः 70 साल. दिल्ली, अनुराधा प्रकाशन
2. शौरी, अरुण.(2018).आरक्षण का दंश. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
3. सर्वाधिकारी, प्रयास.(2019).आरक्षण और मेरिट भ्रांति या वास्तविकता ?!. दिल्ली, नभ प्रकाशन
4. प्रभाकर, .डी.के.(2020).सामाजिक न्याय का प्रथम सोपान आरक्षण. दिल्ली, नोटिशन प्रेस
5. अरोडा, अरविन्द.(2019).आरक्षण, नई दिल्ली, अग्नी प्रकाशन
6. राजन, ए. के.(2017).रिर्जरवेशन एण्ड सम अदर इम्पोर्टेट इश्यू अंडर दा कॉन्सीटिट्यूशन. नई दिल्ली, इमेरल्ड पब्लिशर्स
7. सत्येन्द्र, पी. एल.(2018).मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल. दिल्ली, लेफ्ट वर्ड प्रकाशन
8. फलवारिया, राजकुमार और विश्वकर्मा, ईश्वर शरण. (2017).राष्ट्रीय आरक्षण नीति. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन
9. कबीरपंथी, रणजीत.(2013).आरक्षण जरुर क्यों. दिल्ली, सम्यक प्रकाशन